सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-2368/JH/62/2025-RU-IV   दिनांक : 19.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - गुमला
उपायुक्त का कार्यालय, समाहरणालय भवन,
गुमला, झारखंड 835207
Email Id: dc-gum@nic.in

विषय: **आदिवासियों/जनजातियों को पीने का पानी नहीं देने के संबंध में-जोगोटोली गांव के समस्त आदिवासी परिवार, पता- ग्राम व पोस्ट-जोगोटोली बनागुटू, थाना-बसिया, गुमला, झारखण्ड-835324 का दिनांक 14.01.2025 का मेल/पत्र/अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

19.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव / Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
जोगोटोली गांव के समस्त आदिवासी परिवार,
पता- ग्राम व पोस्ट-जोगोटोली बनागुटू,
थाना-बसिया, गुमला, झारखण्ड-835324,
jsftopno@gmail.com

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-2368/JH/62/2025-RU-IV

जोगोटोली गांव के समस्त आदिवासी परिवार, ग्राम व पोस्ट-जोगोटोली बनागुटू, थाना-बसिया, जिला-गुमला (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "आदिवासी/जनजाति परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराए जाने" के मामले में दिनांक 05.06.2026 को सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड में आयोग के समक्ष हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक: 05.06.2026

सिटिंग का स्थान :- सर्किट हाउस गुमला, झारखण्ड

सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदकगण, जोगोटोली गांव के समस्त आदिवासी परिवार, ग्राम व पोस्ट-जोगोटोली बनागुटू, थाना-बसिया, जिला-गुमला (झारखंड) द्वारा दिनांक 14.01.2025 को आयोग में ई-मेल/पत्र के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम जोगोटोली के आदिवासी परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभ्यावेदकों का आरोप है कि गांव के श्री अमित साहू द्वारा उन्हें डरा-धमकाकर पेयजल स्रोतों के उपयोग से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण दूषित जल का उपयोग करने के लिए विवश हैं। अभ्यावेदकों ने आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आयोग से हस्तक्षेप कर समस्या के शीघ्र समाधान एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 28.04.2025 को उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जिसके सम्बन्ध में आयोग को कोई भी जवाब प्राप्त नही हुआ

3. तत्पश्चात मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उपायुक्त, गुमला (झारखंड) को माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2026 को गुमला, झारखंड में निर्धारित सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु सिटिंग नोटिस जारी किया गया है।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

4. सुनवाई में उपायुक्त गुमला व् अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे है प्रार्थी अनुपस्थित रहे

5. सुनवाई में अधिकारीयों ने आयोग को अवगत करवाया की इस मामले उपर्वर्णित स्थान पर कनेक्शन दे दिया गया व् अब वहां कोई समस्या इस तरह की नही है

6. मामले की सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंषा की जाती है

I. उपरोक्त मामले में विभाग से प्राप्त उत्तर के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आगे इस मामले में आयोग से किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः यह मामला बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्या

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi